

## प्रेस नोट

थाना महाराजपुर

दिनांक 09.09.2022

शराब के नकली बारकोड व बनाने वाली मशीनों के साथ वांछित दबोचा

- ❖ जनपद कानपुर आउटर के पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दिए थे विशेष निर्देश
- ❖ बरामद माल व मशीनों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये है
- ❖ मार्च माह में पकड़े गए थे गिरोह के बाकी तीन सदस्य
- ❖ एसपी जनपद कानपुर आउटर ने घोषित किया था 20 हजार का इनाम
- ❖ पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हो चुकी है

कानपुर। दिनांक:- 08.09.2022 समय 15.30 बजे-- शराब के नकली बारकोड, बोतल के ढक्कन बनाने वाले एक अभियुक्त को करीब एक करोड़ 10 लाख के माल के साथ जनपद कानपुर आउटर के थाना महाराजपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने नोयडा/दिल्ली से दबोचा है। गिरोह के अन्य सदस्यों को पुलिस ने मार्च माह में गिरफ्तार किया था। तब से यह यह अभियुक्त फरार चल रहा था और मुकदमे में वांछित था। जनपद कानपुर आउटर के पुलिस अधीक्षक तेज स्वरूप सिंह ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये विशेष निर्देश दिए और साथ ही 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

घटनाक्रम के मुताबिक मु0अ0सं0 99/22 धारा 420/467/468/471 भादवि व 51/63 कापीराइट एक्ट थाना महाराजपुर कानपुर आउटर में अभियुक्त राजीव कुमार गुप्ता पुत्र रामबहादुर निवासी सुजौली थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर को दिनांक 25.03.2022 को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्तगण 01. वीरेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री राय निवासी 136 गली नं0 -4 पंजाबी बस्ती घाटी रोड थाना आनन्द पर्वत दिल्ली 02. मुकेश कुमार मित्तल पुत्र पुष्कर राज मित्तल निवासी बीएच 74 ईस्ट शालीमार बाग थाना शालीमार बाग दिल्ली 3. अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप सिंह निवासी ए 471 शास्त्री नगर दिल्ली को दिनांक 28.03.2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये की कीमत के कूट रचित बारकोड एवं विभिन्न ब्राण्डों के शराब के ढक्कन एवं ढक्कन एवं बारकोड्स बनाने वाले उपकरण/मशीने को बरामद किया गया था।

20 हजार रुपये का घोषित था इनाम

नकली ढक्कन व बारकोड्स का प्रयोग नकली शराब बनाकर बोतलों में सही के रूप में पैकिंग करने में करते थे। उसी समय से अभियुक्त राजेश जायसवाल वांछित चल रहा था एवं पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर आउटर तेज स्वरूप सिंह द्वारा राजेश जायसवाल पर 20000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इस मुकदमे में भागे हुए अभियुक्त राजेश जायसवाल की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीमों का गठन किया गया।

अभियुक्त राजेश जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर गठित टीम तथा सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्त की लोकेशन को ट्रैस किया गया जिसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16 C गौर सिटी 2 स्थित होटल केपिटल इन के पास की प्राप्त होने पर पुलिस टीम तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त राजेश जयसवाल पुत्र स्व० रामनारायण जयसवाल मूल निवासी ग्राम कोछा थाना ठीकापुर जिला अयोध्या उ०प्र० हाल निवासी 236 कांठ का पुल अम्बेडकर नगर थाना जूही व 115 LIG केशव नगर केनाल पटरी थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र 42 वर्ष को ताज हाइवे रोड के पास होटल केपिटल इन से करीब 70 मीटर दूरी पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजेश जयसवाल द्वारा बताया कि मैं दिल्ली स्थित न्यू मण्डौली फैक्ट्री एरिया प्रेम नगर चौराहा के पास सुरेश खटुआ की फैक्ट्री से शराब की बोतलों के नकली ढक्कन आर्डर पर बनवाकर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की आबकारी की दुकानों के मालिक व सेल्समैन को सप्लाई करता हूं। अभियुक्त की निशांदाही पर न्यू मण्डौली प्रेम नगर चौराहे के पास स्थित फैक्ट्री से कूच रचित नकली ढक्कन के 30 बड़े कार्टून एवं 28 बोरी (बासर ढक्कन) बरामद किए गये तथा बासर बनाने की फैक्ट्री में लगी जमीन में फिटेड भारी भरकम मशीनों को सील किया गया। बरामद माल व मशीनों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये है जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:- राजेश जयसवाल पुत्र स्व० रामनारायण जायसवाल मूल निवासी ग्राम कोछा थाना ठीकापुर जिला अयोध्या उ०प्र० हाल निवासी 236 कांठ का पुल अम्बेडकर नगर थाना जूही व 115 LIG केशव नगर केनाल पटरी थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र 42 वर्ष

बरामदगी 30 कार्टून नकली ढक्कन (शराब की बोतलों के), 28 बोरी बासर (ढक्कन), नकली ढक्कन बनाने की मशीने

### आपराधिक इतिहास

-मु०अ०सं० 99/22 धारा 420/467/468/471 भादवि व 51/63 कापीराइट एक्ट थाना महाराजपुर कानपुर आउटर।

-मु०अ०सं० 33/18 धारा 420/467/467/471 भादवि व 104 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 थाना बाबूपुरवा कानपुर कमिश्नेट

-मु०अ०सं० 185/22 धारा 120बी/258/257/471/468/467/420 भादवि व 104 ट्रेड मार्क अधिनियम व 63 कापीराइट एक्ट, 60 आबकारी अधिनियम, 107 मोटरयान अधिनियम 1988 थाना बाबूपुरवा कानपुर कमिश्नेट

गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना महाराजपुर:

सतीश राठौर प्रभारी निरीक्षक महाराजपुर उ०नि० विजय प्रताप सिंह चौहान, उ०नि० योगेन्द्र सिंह, का० आलोक कुमार

सर्विलांस टीम से उ0नि0 पंकज सिंह,  
हे0का0 बृजपाल सिंह (स्वाट टीम), का0 अमरदीप,  
का0 राकेश कुमार,  
का0 भूपेन्द्र सिंह डांगी,  
का0 लवकुश,  
का0 अमित त्रिपाठी  
थाना बिधनू उ0नि0 रवि दीक्षित, उ0नि0 घनश्याम लवानिया शामिल रहे ।

सोशल मीडिया सेल  
कानपुर आउटर ।